राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1752/2012/भीलवाडा

वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन,भीलवाडा — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स पाटोदिया ब्रदर्स
भीलवाडा — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित ::
श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से
श्री आर.एस.जैथलिया,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 11.03.2014

निर्णय

यह अपील अपीलें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भीलवाडा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) की ओर से उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत क्रमशः अपील संख्या 78/वैअ/11–12 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

प्रकरणों के संक्षिप्त इस प्रकार है कि दिनांक 30.12.2010 को मैसार्स पादोदिया ब्रदर्स, भीलवाडा के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण उपायुक्त(प्रशासन) भीलवाडा के निर्देशानुसार उनके द्वारा गठित दल के साथ किया गया। वक्त सर्वेक्षण फर्म मालिक श्री मुकेश पाटोदिया व्यवसाय स्थल पर उपस्थित मिले, जिन्होंने बताया कि उनके द्वारा यार्न का क्रय विक्रय किया जाता है। वक्त सर्वेक्षण लेखा पुस्तकें पेश करने के निर्देश दिये गये। फर्म मालिक द्वारा बताया गया कि लेखों का संधारण कम्प्युटर द्वारा किया जाता है । व्यवहारी के अन्तिम जारी बिल पर हस्ताक्षर किये गये। सर्वेक्षण के दौरान फर्म मालिक ने बताया कि उसका कोई गोदाम नहीं है तथा व्यवहारी के कार्यालय में स्टॉक नहीं पाया गया । सर्वेक्षण के दौरान कुछ ऐसे व्यवहार पाये गये जिनका सत्यापन वक्त जांच नही हो पाया, जिनकी फोटो कापी ली गई। व्यवहारी के यहां वक्त जांच पाये गये माल का सत्यापन लेखा पुस्तकों से करने हेतु व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में श्री राकेश अग्रवाल द्वारा लेखा पुस्तकें पेश की गई,जिनका वक्त सर्वेक्षण ली गई बिक्री पर्चियों का लेखा पुस्तकों से सत्यापन करने पररू. 13,66,631/–का सिन्थेटिक धागा की बिक्री बिना बिल चालान

से वैट रू. 68,332/– एवं अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत वैट की दुगुनी शास्ति रू. 1,36,664/–आरोपित की गई । अपीलीय अधिकारी के समक्ष उक्त सृजित मांग के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील करने पर, उन्होनें पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया कि पर्ची नम्बर 13 का बिल संख्या पी.बी.17 एवं पर्ची नम्बर 14 का बिल संख्या पी.बी.18 दिनांक 21.12.2010 को जारी किये गये, जो सर्वे की दिनांक 30.12.2010 से पूर्व के हैं, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, इन दोनों बिलों की योग राशि रू. 8,89,135/–को सही पाये जाने के कारण नियमित बिक्री मानी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने वक्त सर्वे पायी गयी पर्ची संख्या 6 में सन ग्लो सूटिंग्स राशि रू. 1,23,804/–एवं पर्ची संख्या 7 में एय आर कलेक्शन राशि रू. 2,16,690/–के सम्बन्ध में बिल जारी किया जाना नहीं पाये जाने के कारण उक्त दोनों पर्चियों की राशि जोडकर रू. 3,40,764/– पर 5 प्रतिशत की दर से कर रू. 17,038/– उस कर की दुगुनी शास्ति रू. 34,076/–को सही माना है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने रेकार्ड से जांच करने पर पर्ची संख्या एवं 3 की राशि रू. 1,36,802/–को उचन्त बिक्री स्वीकार नहीं की है।

अपीलीय अधिकारी के उक्त निष्कर्ष के सम्बन्ध में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि जिन बिलों की राशियों को नियमित बिक्री माना है, वह बिल सुनवाई के समय अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये गये है,जिससे स्पष्ट होता है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा विस्तृत जांच के पश्चात पारित किये गये अपीलाधीन आदेश में आरोपित कर रू. 68,332/– एवं शास्ति रू. 1,36,664/–में से कर रू. 17,038/– एवं शास्ति रू. 34,076/– कायम रखा है,जो उचित है। फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 04.01.2012 को यथावत रखते हुए राजस्व की ओर से प्रस्तुत की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य